कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

क्रमांक– एफ 9(   )परीक्षा/कोविको/2016/   दिनांक–

विज्ञप्ति

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा वर्ष 2015 में विभिन्न एक वर्षीय, द्वि–वर्षीय तथा त्रि–वर्षीय पाठ्यक्रमों की परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये गये अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी वर्षवार वरीयता सूची तैयार की गई है एवं विभिन्न विषयों में शोध की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की सूची भी पृथक से तैयार कर दर्शायी गई है (इसमें वरीयता सूची नहीं होती है)। उक्त वरीयता सूची में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को स्वर्ण पदक अर्जित करने हेतु योग्य माना गया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 23.01.2017 को आयोजित होने वाले चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में स्वर्ण पदक तथा उपाधि प्रदान की जावेगी।

विश्वविद्यालय द्वारा 2015 की परीक्षा में प्रविष्ठ होने वाले सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (एक से दस वरीयता क्रमांक तक) वर्षवार एवं पाठ्यक्रमवार तैयार कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट ृण्नवाण्बण्पद पर दर्शायी गई है। जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शाये गये नियमों के अनुरूप सही होने पर उक्त वरीयता सूची में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति से तीन दिवस के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा स्थित कार्यालय में व्यक्तिशः सम्पूर्ण मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अनुभागाधिकारी (परीक्षा) से कार्यालय समय में मिलकर अपनी आपत्ति के सम्बन्ध में निराकरण कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जारी इस विज्ञप्ति की दिनांक से तीन दिवस की अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी ने आपत्ति दर्ज नहीं करायी तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी वरीयता सूची को ही अन्तिम माना जावेगा। तीन दिवस के उपरान्त किसी अभ्यर्थी को वरीयता सूची में आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार स्वतः ही समाप्त माना जावेगा तथा उसके लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

वेबसाइट पर पृथक से दर्शायी गई वरीयता सूची में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले के पत्राचार हेतु पते ;भ्वउम ।ककतमेद्ध के सम्बन्ध में अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वेबसाइट पर दर्शाया गया पत्राचार का पता सही है। यदि उक्त पते में किसी प्रकार का कोई संशोधन वांछित है अथवा उक्त स्थान पर पत्राचार का पता नहीं दर्शाया गया है तो उक्त वर्णित अधिकारियों से व्यक्तिशः सम्पर्क स्थापित कर पत्राचार का पता तुरन्त उक्त वर्णित अवधि में ही दुरूस्त करावें।

परीक्षा नियंत्रक

विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई वरीयता सूची हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई वर्ष 2015 की विभिन्न परीक्षाओं जिनमें उपाधि प्रदान की जाती है कि वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शायी गई है। वरीयता सूची को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है जिसमें निम्न बिन्दु प्रमुख हैः-

1. त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रमों में भाग-तृतीय की वर्षवार एवं कक्षावार वरीयता सूची में भाग-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की परीक्षा बिना अन्तराल एवं बिना बकाया प्रश्न पत्र के एक ही अवसर में उत्तीर्ण कर तीनों वर्षो के प्राप्तांकों के कुल योग के अनुसार सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में प्रथम स्थान से दसवें स्थान तक क्रमवार वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया है।

2. दो वर्षीय पाठ्यक्रमों में भाग-द्वितीय/उत्तरार्द्ध को वर्षवार एवं कक्षावार वरीयता सूची में भाग-प्रथम/पूर्वार्द्ध की परीक्षा बिना अन्तराल एवं बिना बकाया प्रश्नपत्र के साथ परीक्षा में प्रविष्ठ होने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा एक ही अवसर में उत्तीर्ण कर दोनों वर्षो के प्राप्तांकों के कुलयोग के अनुसार सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में प्रथम स्थान से दसवें स्थान तक क्रमवार वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया है।

3. एक वर्षीय पाठ्यक्रमों यथा बी.एड., बी.पी.एड., पी.जी.डी.सी.ए., एम.फिल. तथा पी.जी. डिप्लोमा इन लेबर लॉ की वर्षवार एक ही अवसर में परीक्षा उत्तीर्ण कर सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम के अनुसार, प्रथम से दसवां स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में सम्मिलित किया है।

4. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 158 के अन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन करवाने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया है।

5. जिस पाठ्यक्रम में नियमित पांच छात्रों से कम की संख्या में प्रविष्ठ हुए हैं उनकी वरीयता सूची विश्वविद्यालय अध्यादेश संख्या 122.। के अनुसार जारी नहीं की गई हैं।

6. अंक सुधार हेतु अध्यादेश संख्या 169 ग.ट ;स्नात्तकोत्तर की पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त पुनः उक्त कक्षा की परीक्षा अंक सुधार हेतु पुनः दी हो), 169 ग.टट (स्नात्तकोत्तर की पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त पुनः उक्त कक्षा की परीक्षा के एक अथवा दो प्रश्नपत्रों की परीक्षा अंक सुधार हेतु पुनः दी हो), 169 ग.क (स्नात्तकोत्तर की पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त पुनः उक्त कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त पुनः उक्त परीक्षा के समस्त प्रश्नपत्रों की परीक्षा एक ही साथ दी हो) तथा 179 (स्नात्तकोत्तर की पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने के उपरान्त पुनः उक्त परीक्षा इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो) ऐसे सभी अभ्यर्थियों को नियमानुसार वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

7. पूरक परीक्षा उत्तीर्ण (वैकल्पिक एवं अनिवार्य विषय), पूर्व छात्रों, श्रेणी सुधार के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ठ होने वाले छात्रों तथा अन्तराल वाले छात्रों को वरीयता सूची में नियमानुसार सम्मिलित नहीं किया गया है।

8. वर्ष 2015 की विभिन्न परीक्षाओं में पाठ्यक्रमवार जारी वरीयता सूची में प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर सर्वाधिक अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थीयों को ही स्वर्ण पदक अर्जित करने वाली स्वर्ण पदक सूची में नियमानुसार सम्मिलित किया गया है। शेष श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक के लिए पात्र नहीं माना गया है।

9. ऐसे सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने वर्षवार एवं पाठ्यक्रमवार वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है को प्रथम से दसवां स्थान अर्जित करने का वरीयता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षान्त समारोह सम्पन्न होने के एक माह के पश्चात् सम्बन्धित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र जहां से अभ्यर्थी ने सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण की है पर भिजवाये जावेगें। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना वरीयता प्रमाण पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य से प्राप्त करें।

परीक्षा नियंत्रक